राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863वी–A बैठक दिनांक 10.06.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 863 वी–A बैठक दिनांक 10.06.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	.प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
SEAC द्वारा अनुशंसित रेत खनन के प्रकरण						
1.	11278/2024	1 (a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	P2/418/2024	1 (a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	11245/2024	1 (a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
4.	11261/2024	1 (a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
5.	10950/2023	1 (a)	दमोह	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
6.	11279/2024	1 (a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
7.	10932/2023	1 (a)	रतलाम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
8.	P2/312/2024	1 (a)	अनूपपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	P2/412/2024	1 (a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	P2/1019/2024	1 (a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
Query Response/Relisting/Coorigendum/EC Transfer/EC Validity Extension इत्यादि के प्रकरण						
11.	11202/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
12.	10907/2024	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
13.	9613/2022	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	10423/2023	1 (a)	सतना	व्हाईट अर्थ खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10736/2023	1 (a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	P2/61/2024	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
17.	11073/2023	1 (a)	सतना	पत्थर एवं एम, स्टोन खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
18.	10328/2024	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19.	10781/2023	1 (a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	10442/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	10995/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	9898/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	P2/25/2024	1 (a)	सागर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9684/2023	1 (a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
25.	10848/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
26.	9474/2022	1 (a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
27.	11162/2024	1 (a)	बालाघाट	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	9764/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
29.	10814/2023	1 (a)	रीवा	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
30.	10813/2023	1 (a)	रीवा	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
31.	10862/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
32.	10659/2023	1 (a)	छतरपुर	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
33.	10660/2023	1 (a)	छतरपुर	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
34.	11076/2023	1 (a)	छतरपुर	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
35.	**अध्यक्ष SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण के दृष्टिगत दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त सुझावों के संबंध में।**					
36.	5552/2017	1 (a)	बालाघाट	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	Apply of EC Validity Extension
37.	11209/2024	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
38.	P2/519/2024	1 (a)	टीकमगढ़	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
39.	8681/2021	1 (a)	विदिशा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
40.	9551/2022	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

41.	7479/2019	1 (a)	राजगढ़	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
42.	8478/2021	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
43.	9162/2022	2(b)	बालाघाट	मैंगनीज ओर वेनिफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	deferred
44.	4258/2015	5(a)	धार	कैमिकल फर्टीलाईजर	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	deferred
45.	248/2008	3(b)	धार	ग्रांडिंग यूनिट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	deferred
46.	4076/2015	1 (a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
47.	6719/2020	1 (a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
48.	2518/2015	1 (a)	दतिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
49.	1900/2014	1 (a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
50.	9609/2023	1 (a)	छतरपुर	रेत खदान	ToR हस्तांतरण	स्वीकृत
51.	10687/2023	1 (a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
52.	9952/2023	1 (a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
53.	11146/2024	1 (a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण

1. **प्रकरण क्र. 11274/2023** परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री सुशील पाठक, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 58,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) **(पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।)**, रकबा 7.00 हेक्टेयर (खनन हेतु क्षेत्र 4.68 हे. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 505, ग्राम लुहरवारा–2, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 7.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 4.68 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन ग्राम क्षेत्र के 200 मीटर बाहर से ही किया जायेगा**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. P2/418/2024** परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति, श्री सतेन्द्र सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) **(पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।)**, रकबा 15.00 हेक्टेयर (खनन हेतु क्षेत्र 12.26 हे. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 398 ग्राम – अण्डिया, तहसील – उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 15.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 12.26 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन ग्राम क्षेत्र के 200 मीटर बाहर से ही किया जायेगा

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 11245/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 24276 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा 735 ग्राम – बौरास, तहसील – उदयपुरा जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वी बैठक दिनांक 22.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट– बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 830 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि.मी.) छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 11261/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री सुशील पाठक, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1165 ग्राम – बंजारी, तहसील – विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि.मी.) छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 10950/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि, डायरेक्टर मैनेजर श्री रमेश भूमरकर, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 01,12 ग्राम – देवरीकिशनदश, तहसील – दमोह जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दक्षित दिशा में लगभग 60 मीटर की दूरी पर एवं खदान के बीच में स्थित रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines** 2016 तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand** 2020 में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि.मी.) छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 11279/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री सुशील पाठक, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 103 ग्राम – सकरीगढ़, तहसील – बड़वारा जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 700 मीटर की दूरी पर के एक रेल्वे ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines** 2016 तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand** 2020 में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार रेल्वे ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि.मी.) छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **प्रकरण क्र. 10932/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 3375 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा 136 ग्राम – बडोदिया, तहसील – जऔरा जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 274 मीटर की दूरी पर के एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि.मी.) छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. P2/312/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 7.00 हेक्टेयर (खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 2.41 हे.), खसरा 766, 001, ग्राम – बलबेहरा उमरिया, तहसील – जैथारी जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परीक्षण के दौरान पाया गया कि भारत सरकार की Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रावधान पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1 कि.मी. तक क्षेत्र को नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जाता है तो 2.41 हे. क्षेत्र की उपलब्ध होता है जिसमें से लगभग 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का उत्खनन किया जाना प्रतीत होता है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार खनन कार्य 2.41 हे. क्षेत्र पर किये जाने के साथ उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक की दूरी उपरांत कुल रकबा 7.00 हे. मे से शेष खनन् योग्य क्षेत्र 2.41 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। **उपरोक्तानुसार पक्के रोड़ ब्रिज के दोनो ओर नो माईनिंग जोन के साईनेज अनिवार्यतः स्थापित करवाए जायें।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 1 कि.मी. की दूरी उपरांत 50 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुये खनन कार्य किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. P2/412/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष** (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), **रकबा 5.00 हेक्टेयर (खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 1.13 हे.), खसरा 493, ग्राम – चिरहाकलां, तहसील – गाड़रवारा जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परीक्षण के दौरान पाया गया कि भारत सरकार की Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1 कि.मी. तक क्षेत्र को नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जाता है तो 1.13 हे. क्षेत्र की उपलब्ध होता है जिसमें से लगभग 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का उत्खनन किया जाना प्रतीत होता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 एवं 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा खनन कार्य 1.13 हे. क्षेत्र पर किये जाने के साथ उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक की दूरी उपरांत कुल रकबा 5.00 हे. मे से शेष खनन् योग्य क्षेत्र 1.13 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** **अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। **उपरोक्तानुसार पक्के रोड़ ब्रिज के दोनो ओर नो माईनिंग जोन के साईनेज अनिवार्यतः स्थापित करवाए जायें।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 1 कि.मी. की दूरी उपरांत 50 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुये खनन कार्य किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. P2/1019/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय जबलपुर) श्री योद्धा उमरे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता** 79950 **घनमीटर प्रतिवर्ष** (SEAC द्वारा अनुशंसित), **रकबा 4.8 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम – छिवलहवां, तहसील – चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **सिंगरौली जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अंक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11202/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि, अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष, (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 28 ग्राम – पटासी, तहसील – सोहागपुर जिला शहड़ोल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

".....*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीच में पक्का रोड ब्रिज स्ट्रक्चर परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।..."

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा खदान क्षेत्र के फोटोग्राफर्स प्रस्तुत किये गये।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लीज क्षेत्र के मई माह 2024 के फोटोग्राफ अनुसार लीज क्षेत्र जलमग्न होना परिलक्षित है जिससे रेत का उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगति प्रकरण निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 10907/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 81900 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.795 हेक्टेयर, खसरा 37/1, ग्राम ग्वाडी–2, तहसील सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग जलमग्न परिलक्षित है एवं SEAC द्वारा अनुशंसित उत्पादन क्षमता का खनन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।

प्रकरण में म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 10.06.2024 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रकरण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण 852वी बैठक दिनांक 21.05.2024 की बैठक में रखा गया था जिसमें टंकण त्रुटिवश *"रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 81900 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.795 हेक्टेयर, खसरा 37/1, ग्राम ग्वाडी–2, तहसील सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)"* के स्थान पर *"रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.632 हेक्टेयर, खसरा 219, 341, ग्राम चिखाली अमाढाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)"*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बैतूल रेत खदान के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त प्रकरण नर्मदापुरम जिले की रेत खदान का है। अत उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **प्रकरण क्र. 9613/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोमती इन्फ्रा एण्ड माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री अरविन्द कुमार, निवासी– मकान नं. 3/777, वास्तु खण्ड–3, गोमती नगर, जिला लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 250000 घनमीटर प्रतिवर्ष** (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), **रकबा 7.530 हेक्टेयर , खसरा नं. 285, 286, 289, 292, ग्राम बेला, तहसील सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 833 वी बैठक दिनांक 22.02.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से अनापत्ति गजानन माईनिंग इण्डिया प्रा.लि. के नाम से जारी की गई है जबकि प्रकरण मेसर्स गोमती इन्फ्रा एण्ड माईनिंग प्रा.लि. नाम से है एवं उक्त खनिपट्ट नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत है। अतः आयुक्त नगर निगम ग्वालियर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि क्या उक्त लीज क्षेत्र की गजानन माईनिंग इण्डिया प्रा.लि. के नाम से जारी अनापत्ति को प्रस्तावित प्रकरण में मान्य किया जा सकता है अथवा नहीं । तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

*परियोजना प्रस्तावक का ई मेल दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से **उपरोक्त जानकारी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।***

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय अनुसार उक्त लीज क्षेत्र के सम्बन्ध में **आयुक्त नगर निगम, ग्वालियर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जयेगा।** तदनुसार **सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।***

कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा उपरोक्त जानकारी के संबंध में पत्र दिनांक 14.05.2024 के माध्यम से अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 661वी बैठक दिनांक 20.07.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क्रं 12253–68 दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 12.09. 2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) ग्वालियर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले रेल्वे लाईन से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं एनजीटी द्वारा पारित आदेशों के अधीन रहेगी एवं उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय/एनजीटी के आदेशों के अधीन स्वीकृत खनिपट्टे के संबंध में यदि जिला कलेक्टर द्वारा लीज को निरस्त किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(xii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 10423/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप कुमार जैन, निवासी– पारस कॉलोनी, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा व्हाईट अर्थ खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 4.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 512/2, ग्राम परसरामपुर, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863वी–A बैठक दिनांक 10.06.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 848 वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि खदान क्षेत्र के चारो ओर स्थित मानब बसाहट व उससे निर्धारित दूरी छोड़ने (गैर खनन 1.33 हे.) के पश्चात् खनन हेतु 3.53 हे. उपलब्ध होता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 18.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 व 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 30.09.2015 द्वारा मूल अवधि से दिनांक 20.03.2036 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 20.03.2036 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 10736/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बाकलिया आत्मज श्री छत्तरसिंह बाकलिया, निवासी– रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 43, 44, 55, ग्राम भीमफलिया, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 एवं 728 वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर का पत्र कमांक 164 दिनांक 20/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकल प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 एवं 728 वी बैठक दिनांक 05.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ का पत्र क. 857–58 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.08. 2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) झाबुआ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. P- 2/61/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री मयूर पटेल, निवासी – ग्राम –कुंडिया, तहसील एवं जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),उत्पादन क्षमता 25220 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.999 हेक्टेयर, खसरा 101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1, ग्रम लोनसारा बुजुर्ग, तहसील व जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 844 वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति एवं शर्तों के अनुपालन की जानकारी के साथ परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण के सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होवें।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 731 वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण क्र. 11073/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस. साई स्टोन केशर श्री गिरीश पुरी आत्मज श्री चरणजीत सिहं पुरी निवासी कृष्ण नगर, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम, स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 4200 घनमीटर एवं एम–स्टोन 9800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.120 हेक्टेयर, खसरा 716/2/3/2, ग्राम – बम्हौर तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र क्र. 915 दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से ज्वत जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी ToR दिनांक 22. 05.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स एस. आई. स्टोन केशर के स्थान पर मेसर्स एस. साई स्टोन केशर किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 22.05.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स एस. आई. स्टोन केशर के स्थान पर मेसर्स एस. साई स्टोन केशर पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. प्रकरण क्र. 10328/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति संगीता अग्रवाल, निवासी बस स्टैण्ड के पास, पृथ्वीपुरा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1344/2 ग्राम भोपालपुरा, तहसील पृथ्वीपुरा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 843वी बैठक दिनांक 01.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 23.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 13.05.2024 में उत्पादन क्षमता परिवेश पोर्टल पर आवेदित एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 13.05.2024 में उत्पादन क्षमता परिवेश पोर्टल पर आवेदित एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार टंकण त्रुटिवश अंकित 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 10781/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष गोयल, डायरेक्टर मेसर्स इंड मिनरल्स एक्सपोलरर्स प्रा. लिमि. निवासी– 201, श्री कृष्णम् अपार्टमेंट, नार्थ अम्बाझिरी रोड, जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32490 टन प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 4.84 हेक्टेयर (खनन योग्य क्षेत्र 2.73 हे. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 141पी, ग्रम मालाजुआन, तहसील सौसर, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर का पत्र कमांक 164 दिनांक 20/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकल प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863वी–A बैठक दिनांक 10.06.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छिन्दवाड़ा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 14.03.2020 के माध्यम से दिनांक 23.03.2049 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.03.2049 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.84 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 2.73 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 22 वृक्षों में से काटे जाने वाले 12 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 120 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. **प्रकरण क्र. 10442/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीना अड़भूते पत्नि श्री रमेश अड़भूते, निवासी ग्राम – नाहिया, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11,191 घनमीटर प्रतिवर्ष** (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), **रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 51, ग्राम – नाहिया, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है, लीज क्षेत्र में केशर इकाई स्थापित है एवं लीज के समीप कंटूर ट्रेन्चेज परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है एवं प्रकरण में **SEAC** की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 26.12.2016 के माध्यम से दिनांक 21.12.2016 से दिनांक 20.12.2026 तक की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 20.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से दोनो ओर न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. 10995/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सोलंकी आत्मज यंशवत सोलंकी, निवासी खंडवा रोड, सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22116 घनमीटर प्रतिवर्ष** (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), **रकबा 2.00 हेक्टेयर (खनन योग्य क्षेत्र 1.10 हे. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा** 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2 **ग्राम खुडगांव, तहसील सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के पत्र क. 1312–13 दिनांक 10.03.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 09.03. 2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 1.10 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(मुजीबुरहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र 9898/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. मिनरल्स प्रा. लिमि. प्रो. श्री देवेन्द्र शिवहरे, इन्द्रा नगर, कबरई जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,01,204 टन प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 4.80 हेक्टेयर, (खनन हेतु क्षेत्र 3.80 हे SEAC द्वारा अनुसंशित) खसरा 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 एवं 700/2, ग्रम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*".....**SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार** खदान क्षेत्र में स्थित 22 पेड के विषय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इनमें से 12 पेड काटे जायेगें एवं 10 पेड संरक्षित रखे जावेगें। समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले वृक्षो के विरूद्ध 20 गुना अतिरिक्त आम के पौधे लगाकर आम की बगीया तैयार करें।...."*

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के आम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला के पत्र क. 44 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 06.01.2052 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) मण्डला जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.80 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 3.80 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 22 वृक्षों में से काटे जाने वाले 12 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 120 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(xii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. P2/25/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजेन्द्र कुमार पोरवाल, निवासी–6, सजीत मार्ग, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150036 घनमीटर प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), खसरा नं. 620/1, रकबा 1.85 हेक्टेयर (खनन हेतु क्षेत्र 1.21 हे SEAC द्वारा अनुसंशित), ग्राम मरदानपुरा, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश एवं SEAC के कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में अवैध उत्खनन हुआ है। अतः कलेक्टर सागर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र में पूर्व में किससे द्वारा उत्खनन किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र क. 804 दिनांक 07.07.2023 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (30.11.2024 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 30.11.2024 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **सागर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 1.85 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 1.21 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 9684/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुशवाह, निवासी– 541, आदर्श कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,762.56 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818, रकबा 24.850 हेक्टेयर, ग्राम जमुवानीकला, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 22.05.2024 में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिसोड़िया माईनिंग प्रा. लि. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह के स्थान पर का नाम श्री जितेन्द्र कुशवाह किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 22.05.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स सिसोड़िया माईनिंग प्रा. लि. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह के स्थान पर का नाम श्री जितेन्द्र कुशवाह पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

25. प्रकरण क्र. 10848/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन, पार्टनर श्री अरूण प्रताप सिंह भदौरिया, निवासी– एम.आर. सी–518, आनंद नगर, सांवेर रोड़, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 563, ग्राम रूदाहेड़ा, तहसील घटिट्या, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 831वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 29.02.2024 में परिवेश पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार एम.सेण्ड की उत्पादन क्षमता 79,152 घनमीटर प्रतिवर्ष जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 29.02.2024 में उत्पादन क्षमता एम.सेण्ड 79152 घनमीटर प्रतिवर्ष जोड़ते हुए संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 9474/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, प्रकाशदीप मिनरल्स, पार्टनर श्री जैयराज सिंह निवासी एल.आई.जी. –3/27/306, नेहरू नगर रीवा जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31946 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 6/1, 13/1 ग्राम हर्रई, तहसील मउगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में ग्राम हर्रई के स्थान पर ग्राम हर्रई गुजरान किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में ग्राम हर्रई के स्थान पर ग्राम हर्रई गुजरान पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 11162/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार शर्मा, निवासी फ्लैट नं. 902, 9 वां तल, ए विंग अकांक्षा बिल्डिंग, प्रेम नगर काम्पलेक्स, नित्यानंद नगर सेंट पॉल हाई. स्कूल, मीरा रोड़ ईस्ट थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 7985 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड 36510 घनमीटर प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 3.016 हेक्टेयर, खसरा 8, 9/2, 9/3

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

भाग, ग्राम देवसर्रा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 853 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वनसीमा की अनापत्ति के संबंध में प्रस्तुत संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा का परीक्षण कर एवं समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर विस्तृत नोट के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः प्रकरण को Differ किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण के परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की **743**वी बैठक दिनांक **27.04.2024** की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की **831**वीं बैठक दिनांक **20.02.2024** में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–**1**) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट के पत्र क्र. **588** दिनांक **26.05.2023** के माध्यम से **30** वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **25.05.2053** तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) बालाघाट जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की बैठक दिनांक **06.01.2022** की अनुशंसा अनुसार वन सीमा क्षेत्र की ओर **50** मीटर नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य किया जाये। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण किया जाये तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा किया जाये तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये तथा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध **212** वृक्षों के एवज दो गुने वृक्ष **424** लगाये जायें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य **6** मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र 9764/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अरूणा सिंहारे पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार सिंहारे, निवासी– नियर सेल टैक्स आफिस, सिविल लाईन, मंडला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 20000 टन प्रतिवर्ष से 70050 टन प्रतिवर्ष एवं ओबर बर्डन 8162 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.60 हेक्टेयर, खसरा 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 20/5, ग्राम भवंरताल, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में लीज की वैधता मध्यप्रदेश शासन खनिज शाधन विभाग का आदेश क्र. 3–16/2004/12/2 दिनांक 12.04.2005 के माध्यम से 20 वर्ष तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 11.04.2025 तक वैध मान्य रहेगी के स्थान पर लीज अनुबंध, अनुमोदित खनन योजना एवं अन्य दस्तावेजों अनुसार दिनांक 09.05.2005 से 08.05.2055 तक स्वीकृत होकर अनुबंधित है किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में लीज की वैधता मध्यप्रदेश शासन खनिज शाधन विभाग का आदेश क्र. 3–16/2004/12/2 दिनांक 12.04.2005 के माध्यम से 20 वर्ष तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 11.04.2025 तक वैध मान्य रहेगी के स्थान पर कलेक्टर मण्डला द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 30.04.2016 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

29. **प्रकरण क्र. 10814/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह, निवासी– बी–27/70, बरहर कोठी, गुरूधाम क्रासिंग, दुर्गाकुण्ड रोड़ जिला वाराणसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,25,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 369/1/ख/1/3, 374/7/क/1/4, 327/6, 326/6, 324/6, 323/6, 322/6, 320/6, 319/6, 318/6, 317/2/च, 317/2/ड, 318/5, 319/5, 320/5, 322/5, 323/5, 326/2, 317/2/ख, 319/2, 322/2, 323/2, 325/1/4, 318/2, 320/2, 318/4, 319/4, 320/4 322/4, 323/4, 324/4, 326/4, 771/1, 771/2, 317/1/क, 317/3, रकबा 5.908 हेक्टेयर, ग्राम बीरादेई, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 19.02.2024 में परिवेश पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों अनुसार परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ए. सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह के स्थान पर मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 19.02.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ए.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह के स्थान पर मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

30. **प्रकरण क्र. 10813/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह, निवासी– बी–27/70, बरहर कोठी, गुरूधाम क्रासिंग, दुर्गाकुण्ड रोड़ जिला वाराणसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,87,500 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 50/3,52/3, 80/3, 58/3, 60/3, 44/3, 36/3, 50/2, 55/1, 52/2, 80/2, 51/1, 36/2, 58/5, 36/5, 52/5, 80/5, 50/5, 36/4, 52/4, 50/4, 80/4, 58/4, 36/1/1, 57/1/2, 58/1, 60/1, रकबा 5.044 हेक्टेयर, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 19.02.2024 में परिवेश पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों अनुसार परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ए. सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह के स्थान पर मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 19.02.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ए.सी.सी.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह के स्थान पर मेसर्स एम.सी.सी. महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री उमेश कुमार सिंह पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

31. **प्रकरण कमांक 10862/2023 – परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल पटेल, आत्मज श्री शांतिभई पटेल निवासी जैयप्रकश वार्ड बैतूल गंज बैतूल, तहसील व जिला बैतूल म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 144/1 रकबा 0.75 हेक्टेयर, ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाड़ा तहसील आमला, जिला बैतूल म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में उत्पादन क्षमता 50704 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.05.2024 में उत्पादन क्षमता 50704 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

32. **प्रकरण क्र. 10659/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स श्री अजय सिंह परमार निवासी 06 किमी. सागर रोड धदारी जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पायरोफलाईट एण्ड डायोंस्पोर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5396 टन प्रतिवर्ष रकबा 2.791 हे0, खसरा क्रमांक 303, 304, 305/2, 306 ग्राम गढी तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्वीकृत पर्यावरण स्वीकृति में मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स लि., श्री अजय सिंह परमार के स्थान पर मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स, श्री अजय सिंह परमार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 स्वीकृत पर्यावरण स्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स लि., श्री अजय सिंह परमार के स्थान पर मेसर्स खजुराहो

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मिनिरल्स, श्री अजय सिंह परमार पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

33. **प्रकरण क्र. 10660/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स लि. श्री अजय सिंह परमार निवासी 06 किमी. सागर रोड धदारी जिला छतापुर (म.प्र) द्वारा पायरोफायलाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 99,223 टन प्रतिवर्ष रकबा 4.650 हे. हे0, खसरा क्रमांक 306 पी ग्राम खेरा मजोरा तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्वीकृत पर्यावरण स्वीकृति में मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स लि., श्री अजय सिंह परमार के स्थान पर मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स, श्री अजय सिंह परमार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स श्री अजय सिंह परमार के नाम से ही पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 22.05.2024 जारी किया गया है।

34. **प्रकरण क्र. 11076/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रेखा खरे पत्नी श्री रीतेश खरे निवासी, वार्ड न. 6, शिल्पशला मार्ग लोहिया जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 212, ग्राम – परा, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार सशर्त ***"संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क्र 9000–28 दिनांक 14/07/23 के माध्यम से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है जिसमें लीज की वैधता अंकित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक लीज वैधता का आदेश परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।"*** पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में लीज स्वीकृति वैधता का पत्र अपलोड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में *"संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क्र 9020–27 दिनांक 14/07/23 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी"* अंकित कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

35. अध्यक्ष SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण के दृष्टिगत दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त निम्नानुसार सुझावों को अमल में लिया गया है :–

1. ToR For Minor Minerals along with Standard ToR.
2. ToR For Sand Mines.
3. ToR For DEIAA Cases.
4. Project Formate for Project Proponent & Consultant.
5. Standarized Minute Formate.
6. MP District Survey Reports Appraisal (Sand Mines & Other than Sand)

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत अध्यक्ष SEAC द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझावों पर सहमति प्रदान की जाती है।

36. प्रकरण क्र. 5552/2017 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स भागचंद संचेती पार्टनर श्री गौरव संचेती, निवासी– नेहरू चौक, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 52000 टन प्रतिवर्ष रकबा 7.75 हे0, खसरा क्रमांक 32/1, 32/2, 29/1, 33/1, 31, 30/2, 29/2, 30/1, 29/3, 43/7, 35, 36, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, ग्राम दुलापुर, तहसील तिरोड़ी (कटंगी), जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 446वी बैठक दिनांक 19.02.2017 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र क्र. 902 दिनांक 28.06.2017 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 28.06.2017 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.05.2027 के स्थान पर प्रस्तुत लीज अनुबंध दिनांक 04.02.2017 अनुसार दिनांक 17.11.2035 तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 28.06.2017 में लगभग 8 वर्ष बाद पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार में टंकण सुधार हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 11209/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश कुमार शिवहरे आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद शिवहरे, निवासी– 81, ग्राम पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25124 घनमीटर प्रतिवर्ष (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

639/1, ग्राम–पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 854वी–A बैठक दिनांक 27.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"....SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारास्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 15 पेड लगे है जो काटे जायेगे तथा उनके एवज में 150 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क. 13251 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.03.2025 से 10 वर्ष हेतु नवकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 29.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 15 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 150 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. P-2/519/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे, निवासी, इन्द्रपुरी कालोनी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं रकबा 2.914 हे0, खसरा क्रमांक 164/2 एवं 164/4 ग्राम उत्तमपुरा, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 855वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*".....**SEAC की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार** खदान क्षेत्र में स्थित 18 पेड में से 10 पेड काटे जायेगें एवं काटे जाने वाले वृक्षो के विरूद्ध 100 पेड़ नीम के लगाये जायेगे।...."*

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के नीम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के पत्र क. 4558 दिनांक 07.03.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 06.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) टीकमगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 18 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 100 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

39. Proposal No. SIA/MP/MIN/468462/2024 प्रकरण क्रमांक 8681/2021 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेश्वर सिंह रघुवंशी निवासी– रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र, आनंदपुर रोड़ जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 556, ग्राम काछीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत्।

(मुजीबुरहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति वैधता विस्तार जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी वैधता विस्तार की पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 03.06.2024 में टंकण त्रुटिवश अंकित प्रकरण क्र. 733/2012 एवं उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रकरण क्र. 8681/2021 एवं विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी वैधता विस्तार पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 1107–08 दिनांक 03.06.2024 में प्रकरण क्र. 733/2012 एवं उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रकरण क्र. 8681/2021 एवं विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधन पत्र जारी किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

40. **प्रकरण क्र 9551/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री पवन कुमार जैन, निवासी जैन सदन, महल रोड़, कृष्णापुरम कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 53900 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 48400 व एम सेण्ड 5500 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1483, ग्राम परिच्छा अहिर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में SEAC की 620वी बैठक दिनांक 13.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार **किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्राधिकरण** पत्र दिनांक 19.05.2023 **द्वारा** जारी **की गई** ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शिवपुरी द्वारा जारी लीज की वैद्यता विस्तार आदेश क्र. 378 दिनांक 01.03.2024 (वैधता 17.05.2024 से 30.09.2025 तक) की प्रति।

II. एसईआईएए द्वारा दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

III. **नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन पाटनी आत्मज श्री प्रकाश चन्द्र पाटनी, निवासी– छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) को पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,15,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 575/11, ग्राम कुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की जार पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 2308–09 दिनांक 18.10.2021 की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 10527 दिनांक 11.08.2023 अनुसार दिनांक 08.08.2024 से 10 वर्ष तक विस्तार की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी ।

41. प्रस्ताव क्र **SIA/MP/MIN/478330/2024** प्रकरण क्रमांक 7479/2022 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील कुमार झॉ आत्मज श्री श्रीलाल झॉ निवासी ग्रम पीलूखेड़ी तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान, **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**रकबा 1.0 हे. उत्पादन क्षमता पत्थर 6463 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 3850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 95/2, 94/1/1/2 ग्राम पीलूखेड़ी तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ(म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री श्रवण कुमार पाटीदार आत्मज श्री होकम सिंह पाटीदार निवासी– ग्राम इकलेरा तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री सुनील कुमार झॉ आत्मज श्री श्रीलाल झॉ निवासी ग्रम पीलूखेड़ी तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री श्रवण कुमार पाटीदार आत्मज श्री होकम सिंह पाटीदार निवासी– ग्राम इकलेरा तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ (म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 30.01.2023 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

III. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 310 दिनांक 13.03.2024 (वैधता 31.08.2020 से 30.08.2030 तक) की प्रति।

VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री श्रवण कुमार पाटीदार आत्मज श्री होकम सिंह पाटीदार निवासी– ग्राम इकलेरा तहसील नरसिंहंगढ जिला राजगढ (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की संलग्न प्रति मे हस्ताक्षर नही किये गये है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री श्रवण कुमार पाटीदार आत्मज श्री होकम सिंह पाटीदार निवासी– ग्राम इकलेरा तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ (म.प्र.) द्वारा के नोटराइज्ड शपथ पत्र हस्ताक्षर कर उसकी प्रति ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा। तदानुसार नवीन परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

42. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/477005/2024 प्रकरण कमांक 8478/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री गजराज सिंह घुरैया, निवासी ए.एम.111, दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150005 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 4175, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन केशर पार्टनर श्री अशोक सिंह यादव आत्मज रामप्रसाद सिंह 108 बैकरर्स कालोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री गजराज सिंह घुरैया, निवासी ए.एम.111, दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स सीताराम स्टोन केशर पार्टनर श्री अशोक सिंह यादव आत्मज रामप्रसाद सिंह 108 बैकरर्स कालोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर (म.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स सीतारात स्टोन केशर पार्टनर श्री अशोक सिंह यादव आत्मज रामप्रसाद सिंह 108 बैकरर्स कालोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 09.04.2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क. 4445– 46 दिनांक 18.04.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 23.05.2022 से 22.0.2032 तक) की प्रति।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री गजराज सिंह घुरैया, निवासी ए.एम.111, दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150005 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 4175, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन केशर पार्टनर श्री अशोक सिंह यादव आत्मज रामप्रसाद सिंह 108 बैंकर्स कालोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 4445– 46 दिनांक 18.04.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 23.05.2022 से 22.0.2032 तक) 22.0.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

43. प्रस्ताव क SIA/MP/IND1/459305/2024 **Case No. 9162/2022** Shri UdyalUmamaheswara Reddy, Director, M/s MAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.) - 477114. Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity-0.5 MTPA) located at village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.). Cat.: 2(b) Mineral beneficiation. Propsal No. SIA/MP/IND1/459305/2024.EC Transfer-Reg

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की 763–B बैठक दिनांक 10.06.2024 के एजेण्डा सं.क्र. 06 में सम्मिलित किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

44. प्रस्ताव क **SIA/MP/IND3/463489/2024_Case No. 4258/2015** Shri Subhash Garg, Director, M/s SAALASAR PHOS CHEM PRIVATE LIMITED, B-01, Aditya Vihar Colony, Mhow - Neemuch Road, Mandsaur, Distt. – Mandsaur (M.P.) - 458001. Prior Environment Clearance for Transfer of Environment Clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra no 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar, (M. P.). Total Land Area - 2.3585 ha.,Transfer of EC.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि बेवसाईट पर अपलोड एजेण्डा के सं.क्र. 44 प्रकरण क्रं. 5476/2017 टंकण त्रुटिवश गलत अंकित हो गया जबकि सही प्रकरण क्रं. 4258/2015 है।

अतः उक्त प्रकरण प्राधिकरण की 763–B बैठक दिनांक 10.06.2024 के एजेण्डा सं.क्र. 07 में सम्मिलित किया गया है।

45. प्रस्ताव क **SIA/MP/IND1/466827/2024_Case No. 248/2008.**Transfer of Environment clearance from M/s Satguru Cement Pvt. Ltd. to M/s PIONEER INDUSTRIES for industrial unit Khasra No. - 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village - Ghursal, Teshil – Jeerabad, Gandhwani, Dist. – Dhar (M.P.) 454446Shri Rajesh Bansal , Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, 601-A, AIREN HEIGHTS, PU-3, SCHEME NO. 54, A. B. ROAD, INDORE (M.P.) - 452010, Clinker grinding unit (Capacity. Total Land Area3.762 Ha., Cat.: 3(b) Cement plants. [IND1/466827/2024] (EC Transfer)- 0.095 MTPA)

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की 763–B बैठक दिनांक 10.06.2024 के एजेण्डा सं.क्र. 09 में सम्मिलित किया गया है।

46. प्रस्ताव क **SIA/MP/MIN/474973/2024 प्रकरण क्र. 4076/2015 परियोजना प्रस्तावक श्री चंदन चंदानी आत्मज श्री सुरेश चंदानी, निवासी– 169, पारासर नगर, जिला इन्दौर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23520 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 57 ग्राम ढोल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूनिक माईन्स पार्टनर श्री कामरान खान, निवासी– पर्ल गार्डन बाईपास रोड़ धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री चंदन चंदानी आत्मज श्री सुरेश चंदानी, निवासी– 169, पारासर नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स यूनिक माईन्स पार्टनर श्री कामरान खान, निवासी– पर्ल गार्डन बाईपास रोड़ धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स यूनिक माईन्स पार्टनर श्री कामरान खान, निवासी– पर्ल गार्डन बाईपास रोड़ धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1947 दिनांक 13.06.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 391 दिनांक 14.02.2024 (वैधता 16.11.2020 से 15.11.2030 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक से परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन।**
2. **नवीन परियोजना प्रस्तावक की पार्टनरशिप डीड।**
3. **अधिकृत पर्यावरण सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र।**

उपरोक्त दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

47. **प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/473282/2024 प्रकरण क्र. 6719/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश जायसवाल आत्मज श्री जगन्नाथ जायसवाल, निवासी– ग्राम भानपुर, तहसील मनावर, जिला धार (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8075 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 177/1/1/1/1क/1, ग्राम पेटलावद, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री रवि शर्मा आत्मज श्री हुकुमचंद शर्मा, निवासी– ग्राम मनावर, तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री राकेश जायसवाल आत्मज श्री जगन्नाथ जायसवाल, निवासी– ग्राम भानपुर, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री रवि शर्मा आत्मज श्री हुकुमचंद शर्मा, निवासी– ग्राम मनावर, तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री रवि शर्मा आत्मज श्री हुकुमचंद शर्मा, निवासी– ग्राम मनावर, तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5144 दिनांक 12.03.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 837 दिनांक 12.04.2023 (वैधता 05.02.2018 से 04.02.2028 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक से परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन।**
2. **अधिकृत पर्यावरण सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र।**

उपरोक्त दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

48. प्रस्ताव क **SIA/MP/MIN/473066/2024** प्रकरण क्र. 2518/2015 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नि स्व. श्री रविन्द्र सिंह यादव, निवासी– 204/4ए, सिविल लाईन–11, झॉसी, जिला झांसी (उ0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 928, ग्राम सालोन–ए, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म. प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जयश्री कृष्णा स्टोन, पार्टनर श्री निखिल गुप्ता, निवासी– एच–2, वीरांगना नगर, जिला झांसी (उ.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नि स्व. श्री रविन्द्र सिंह यादव, निवासी– 204/4ए, सिविल लाईन–11, झॉसी, जिला झांसी (उ0प्र0)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स जयश्री कृष्णा स्टोन, पार्टनर श्री निखिल गुप्ता, निवासी– एच–2, वीरांगना नगर, जिला झांसी (उ.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स जयश्री कृष्णा स्टोन, पार्टनर श्री निखिल गुप्ता, निवासी– एच–2, वीरांगना नगर, जिला झांसी (उ.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3234 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 407–8 दिनांक 06.03.2021 (वैधता 08.05.2012 से 07.05.2022 तक) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 956 दिनांक 19.08.2021 (वैधता 10 वर्ष) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक से परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

1. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक की पार्टनरशिप डीड।
3. अधिकृत पर्यावरण सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

49. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/473019/2024 प्रकरण क्र. 1900/2014 परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र बैरागी, निवासी– ग्राम अंतरिमा, तहसील मनासा, जिला नीमच (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10125 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 14, 16, ग्राम सिंगाड़िया पिपलिया, तहसील रामपुरा, जिला नीमच (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिवम स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री सतीश पोरवाल, निवासी– ग्राम अंतरीबुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री नरेन्द्र बैरागी, निवासी– ग्राम अंतरिमा, तहसील मनासा, जिला नीमच (म0प्र0)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स शिवम स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री सतीश पोरवाल, निवासी– ग्राम अंतरीबुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स शिवम स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री सतीश पोरवाल, निवासी– ग्राम अंतरीबुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3068 दिनांक 13.05.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 1375 दिनांक 06.10.2023 (वैधता 16.12.2024 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक से परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

1. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक की पार्टनरशिप डीड।
3. अधिकृत पर्यावरण सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

50. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/471967/2024 प्रकरण क्र. 9609/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी–9ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.60 हेक्टेयर, खसरा 405, ग्राम लसगरा, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की जारी ToR का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी–9ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल श्यामला हिल्स भोपाल** के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक, **दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल** (म.प्र.) के नाम पर ToR हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ToR में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. **दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल** (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई ToR में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. एसईएसी द्वारा पत्र क्र 3049 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से जारी ToR की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 943 दिनांक 03.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

V. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19–2–2019–बारह–1–पार्ट–6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।

VI. उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्र. 798 दिनांक 03.05.2024 के अनुसार SEIAA 723 बैठक दिनांक 13.05.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :–

1. The proposed sand mine of District Chhatarpur will revise and submitted to SEIAA MP in due course.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 50000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the ToR conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Terms of Referance issued by SEIAA is not exceeding the time period of three years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी–9ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.) को रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.60 हेक्टेयर, खसरा 405, ग्राम लसगरा, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) का जारी ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. **उपरोक्त ToR पत्र क्र. 3049 दिनांक 06.03.2023 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायेगी।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाये।

V. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त ToR माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगें तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guideline 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guideline 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

51. प्रकरण क्र. 10687/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अम्बुज जैन, आत्मज श्री अजय कुमार जैन निवासी–वार्ड क्र. –13, मकान नं. 472, बघराजी, तहसील कुण्डम ,जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16055 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.900 हेक्टेयर, खसरा 85, 89/1, ग्रम भरद्वारा माल, तहसील शहपुरा, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

प्रकरण मे चैन सिंह वरकड़े विधायक, ओंकार चैचाम एवं अर्जुन सिह व अन्य के द्वारा प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर प्रस्तावित खदान के संबध मे निम्नानुसार शिकायत कि गई:–

1. *प्रस्तावित खदान की लीज स्वीकृत हेतु संलग्न की गई ग्राम पंचायत अनापत्ति फर्जी एवं गलत हैं। इस हेतु नाटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।*

2. *प्रस्तावित खदान में यदि क्रेशर स्थापित किया जता है तो समीपस्त कृषि भूमि एवं खदान से 20 मीटर की दूरी पर स्थित नाला जो कि पशुओ के पानी पीने स्रोत है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।*

3. *प्रस्तावित खदान के 30 मीटर की दूरी पर पक्की नहर स्थित है, जोकि कृषको के लिये सिचाई का मुख्य स्रोत है। यदि उक्त स्थल पर उत्खनन कार्य किया जाता है तो नहर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है।*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामश उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि प्राप्त शिकायत के उपरोक्त बिन्दुओ के दृष्टिगत कलेक्टर, जिला डिण्डौरी से प्रकरण की वास्तु स्थित हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थित की स्पष्ट जानकारी के साथ प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृति/संचालित खदानों की जानकारी भी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का पत्र प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यहां उल्लेखनीय है होगा कि माननीय विधायक श्री प्रणय पाण्डे, बहोरीबंद जिला अनूपपुर द्वारा SEIAA की बैठक दिनांक 29.05.2024 प्रस्तुत पत्र के साथ, जिला डिण्डौरी द्वारा जारी दो एकल प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। प्रथम एकल प्रमाण पत्र दिनांक 06.03.2023 को जारी किया गया जिसके अनुसार श्री संदीप राय की खदान के 500 मीटर की परिधि में श्रीमती रेखा गोस्वामी की 0.70 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत/संचालित होना बताया गया जिसका संदीप राय की खदान को मिलाकर कुल रकबा 2.70 हेक्टेयर होता है। दूसरा एकल प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2023 को अर्थात् 03 माह बाद जारी हुआ है जिसमें श्री अंबुज जैन की खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री संदीप राय की 2.00 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत/संचालित होना दर्शाई गई है जिसका अम्बुज जैन की खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.90 हेक्टेयर होता है। दूसरे एकल प्रमाण पत्र में प्रथम एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित श्रीमती रेखा गोस्वामी की खदान को नहीं दर्शाया गया है। अगर तीनो खदानों के क्षेत्र का योग किया जाये तो यह रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। इस स्थिति में तीसरी खदान कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में आयेगा।

अतः कलेक्टर डिण्डौरी से स्पष्ट कराया जाये कि श्रीमती रेखा गोस्वामी के नाम पर स्वीकृत खदान जिसका रकबा 0.70 हेक्टेयर है, अगर वर्तमान में बंद होकर वैध नहीं है तो ही यह अम्बुज जैन की खदान बी–2 श्रेणी में आयेगी अन्यथा इसे बी–1 श्रेणी में आवेदन करना होगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

52. प्रकरण क्र. 9952/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्टोन वर्क्स माइनिंग, पार्टनर, श्री राम मनोहर, निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, नदीपुर, पाली थ्रेसर के सामने, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,00,385 टन प्रतिवर्ष एवं रकबा 2.80 हे0, खसरा क्रमांक 297, ग्राम मलहान, तहसील, बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 748वी बैठक दिनांक 03.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 855वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

*".....**SEAC की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार** खदान क्षेत्र में स्थित 18 पेड में से 10 पेड काटे जायेगें एवं काटे जाने वाले वृक्षो के विरूद्ध 100 पेड़ नीम के लगाये जायेगे।...."*

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के नीम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 748वी बैठक दिनांक 03.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 5421–22 दिनांक 22.04.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 21.04. 2052 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) कटनी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई तक किया जायेगा, इससे अधिक गहराई पर जाने से पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 29 वृक्षों में से काटे जाने वाले 23 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 230 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

53. प्रकरण क्र. 11146/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब गुप्ता आत्मज श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी– ग्राम – मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 542/1क, 543/1 ग्राम **रक्शा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी के संबंध में विस्तृत नोट तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः प्रकरण को Differ किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पर्यावरणीय मुद्दों पर **विस्तृत चर्चा** व परामर्श अनुसार निर्णय लिया गया कि चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश **पोर्टल पर अपलोड** एकल प्रमाण पत्र अनुसार बाधावगढ़ टाईगर रिजर्व की ईको **सेंसेटिव जोन से दूरी कितनी है स्पष्ट नहीं हो रही है। अतः प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के ईको सेंसेटिव जोन प्रस्तावित खदान से कितनी दूरी पर है प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष